

बहुराज्य सहकारी समितियाँ

प्रलम्बिस् के लयि:

बहुराज्यीय सहकारिता, संवधान (97वें संशोधन) अधनियिम, 2011, सहकारिता से संबंघति संवैधानकि प्रावधान ।

मेन्स के लयि:

बहु राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधनियिम, 2002 में खामयिँ ।

चर्चा में क्योँ?

केंद्र ने "अधनियिम में खामयिँ को दूर करने" के लयि **बहु राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधनियिम, 2002** में संशोधन करने का नरिणय लयिा है ।

- इससे पहले एक नए **सहकारिता मंत्रालय** का गठन कयिा गया था ।

प्रमुख बदि:

- **बहु राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधनियिम, 2002 के बारे में:**

- **बहु राज्य सहकारी समितियाँ:** हालाँकि सहकारी समितियाँ एक राज्य का वषिय है, लेकनि कई समितियाँ जैसे कचिनी और दूध बैंक, दूध संघ आदि हैं जनिके सदस्य व संचालन के कषेत्र एक से अधकि राज्यों में फैले हुए हैं ।
 - उदाहरण के लयि कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर अधकिंश चीनी मल्लिँ दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं ।
 - **महाराष्ट्र में ऐसी सहकारी समितियाँ की संख्या सबसे अधकि 567 है,** इसके बाद उत्तर प्रदेश (147) और नई दल्लिी (133) में हैं ।
 - ऐसी सहकारी समितियाँ को संचालति करने के लयि MSCS अधनियिम पारति कयिा गया था ।
- **कानूनी कषेत्राधिकार:** उनके नदिशक मंडल में उन सभी राज्यों का प्रतनिधित्व होता है जनिमें वे काम करते हैं ।
 - इन समितियाँ का प्रशासनकि और वत्तितीय नयित्रण केंद्रीय रजसि्ट्रार के पास होता है और कानून यह स्पष्ट करता है कचि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर कोई नयित्रण नहीं रख सकता है ।
 - केंद्रीय रजसि्ट्रार का वशिष नयित्रण राज्य के अधिकारयिँ के हस्तकषेप के बनिा इन समितियाँ के सुचारु संचालन की अनुमतदिने के लयि होता था ।

- **संबदध चतिाएँ:**

- **नयित्रण और संतुलन की कमी:** राज्य-पंजीकृत समाजों की प्रणाली में प्रकरयिा में पारदर्शति सुनशिचति करने हेतुकई स्तरों पर जाँच और संतुलन शामिल है, जबकयिह बहु-राज्य समाजों के मामले में मौजूद नहीं है ।
 - केंद्रीय रजसि्ट्रार केवल वशिष परसिथतियाँ में ही सोसायटियों के नरिीकषण की अनुमतदि सकता है ।
 - आगे की जाँच समितियाँ को पूरव सूचना देने के बाद ही की जा सकती है ।
- **केंद्रीय रजसि्ट्रार का कमज़ोर संस्थागत ढाँचा:** केंद्रीय रजसि्ट्रार का ज़मीनी बुनयिादी ढाँचा कमज़ोर होने के साथ-साथ राज्य स्तर पर कोई अधिकारी या कार्यालय भी नहीं है तथा ज़्यादातर काम या तो ऑनलाइन या पत्राचार के माध्यम से कयिा जाता है ।
 - इसके कारण शकिायत नविारण तंत्र बहुत खराब हो गया है ।
 - इससे कई उदाहरण सामने आए हैं जब क्रेडिट समितियाँ ने इन खामयिँ का फायदा उठाते हुए **पॉजी योजनाएँ** शुरू की हैं ।
- **संभावति सुधार/संशोधन:**
 - **संस्थागत बुनयिादी ढाँचे को मज़बूत करना:** केंद्र सरकार को वभिन्न हतिधारकों के साथ परामर्श के बाद समाजों के बेहतर शासन को सुनशिचति करने के लयि आवश्यक संस्थागत बुनयिादी ढाँचे को मज़बूत करना चाहयिे । उदाहरण के लयि:
 - जनशक्ति में वृद्धि
 - पारदर्शति लाने के लयि प्रौद्योगकिी का उपयोग करना ।
 - **शामलि राज्य:** ऐसी समितियाँ का प्रशासनकि नयित्रण राज्य आयुक्तों में नहििति होना चाहयिे ।

भारत में सहकारिता

■ परभाषा

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (International Cooperative Alliance- ICA), सहकारिता (Cooperative) को "संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामान्य ज़रूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ" के रूप में परिभाषित करता है।

● भारत में सफल सहकारी समितियों के उदाहरण:

- [भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वणिगण संघ \(NAFED\)](#)
- [भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड \(IFFCO\)](#)
- अमूल (AMUL)

■ संवैधानिक प्रावधान:

- संवैधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में नया भाग- IXB जोड़ा गया।
 - संवैधान के भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "संघ और संगठन" के बाद "सहकारिता" शब्द जोड़ा गया था।
 - यह सहकारी समितियों बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का दर्जा प्रदान करता है।
 - राज्य के नीतिनिदेशक तत्त्वों (DPSP- भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

■ सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय

- जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने 97वाँ संशोधन अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भाग IX B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) ने अपने सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं की 'अनन्य विधायी शक्ति' को 'महत्त्वपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रभावित' किया है।
- साथ ही 97वाँ संवैधान संशोधन के प्रावधानों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किये बिना संसद द्वारा पारित किया गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिये आरक्षण विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है (सहकारिता राज्य सूची का एक हिस्सा है)।
 - 97वाँ संवैधान संशोधन के लिये अनुच्छेद 368(2) के तहत कम-से-कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।
 - चूँकि 97वाँ संवैधान संशोधन के मामले में अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिये इसे रद्द कर दिया गया।
 - इसने भाग IX B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' (MSCS) से संबंधित हैं।
 - इसने कहा कि 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' का विषय केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विधायी शक्ति भारत संघ की होगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस